न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो(तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 85 वर्ष 2016

आवेदिका– पदुम देवी
ग्राम– बडकीपुन्नु
थाना– महुआटांड, जिला–बोकारो

केता– नुनूबाला देवी
ग्राम– बडकीपुन्नू
थाना– महुआटांड, जिला–बोकारो

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदिका पदुम देवी पति स्व0 विराज मुण्डा ग्राम– बडकीपुन्नू, थाना– महुआटांड, जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बडकीपुन्नू	57	54	1552	46 डी0	10 डी0	कृषि योग्य

को वे अपना पुत्र के ईलाज हेतु मो0 60,000/–(साठ हजार)रूपये में केता– नुनूबाला देवी पति रामदुलार मुण्डा, ग्राम–बडकीपुन्नू थाना– महुआटांड, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 527/रा0 दिनांक 24.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 996 दिनांक 28.10. 2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

बिकेता एवं केता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं।
बिकेता एवं केता दोनों ग्राम– बडकीपुन्नू, थाना– महुआटांड, जिला–बोकारो का निवासी हैं।

01. बिकी की जाने वाली भूमि का खतियान जितना मुण्डा एवं उरवा मुण्डा के नाम से दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी–II जितना मुण्डा के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है।
02. खतियान रैयत से बिकेता का संबंध दादाससुर का है। बिकी की जाने वाली भूमि विकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं विकेता का दखल कब्जा है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि; सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता पदुम देवी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन जितना मुण्डा तथा उरवा मुण्डा के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी पंजी–II में जितना मुण्डा के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिकी वाली जमीन जितना मुण्डा के हिस्से की है। जिसे वे आवश्यकता वश

c-c/ssued 19/7/18

बेच रहे है।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं :-

01. विकेता– जितना मुण्डा वगैरह के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति तथा जितना मुण्डा के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. केता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष मुण्डा जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिकेता के जितना मुण्डा के हिस्से की खतियानी जमीन है। जिसे आवश्यकता वश बेचना चाहते है।

अतः आवेदिका– पदुम देवी पति स्व0 विराज मुण्डा ग्राम बडकीपुन्नू थाना महुंआटांड जिला बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	प0 सीमा
बडकीपुन्नू	54	1552	46 डी0	10 डी0	रास्ता	नीज लेख्यकारिणी	नीज लेख्यधारिणी	मकान नीज लेख्यकारिणी वाके

कुल दस डिसमिल जमीन मात्र।

मो0 60000/–(साठ हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता नुनूबाला देवी पति रामदुलार मुण्डा ग्राम बडकीपुन्नू थाना महुंआटांड जिला –बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्ष को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित ।

01/07/13

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)

01/07/13

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 07:18:00 -08:00
Location: 192.168.1.35